(6)

न्यायालय, जिला दण्डाधिकारी, पटना
(जिला शस्त्र शाखा)
–: आदेश :–

02-04-2013

विविध शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–9–525/2012 में आवेदक **श्री नवनीत नारायण,** पिता–डॉ0 दीप नारायण राम, सा0–270, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, थाना–पाटलीपुत्रा, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त करने की कार्रवाई की गई।

आवेदक उपस्थित। आवेदक द्वारा बताया गया कि वे नौकरी करते हैं तथा उनके पिता के शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–220/1980, थाना–पाटलीपुत्रा पर एक एन0पी0बोर रिवाल्वर धारित है, जिसे वे अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित करना चाहते है। आवेदक द्वारा शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त पत्रांक–77/गो0, दिनांक–12.01.2013 का अवलोकन किया गया। आवेदक के एक एन0पी0बोर रिवाल्वर अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र जाँचोपरान्त मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। पुलिस उपाधीक्षक, विधि–व्यवस्था, पटना एवं थानाध्यक्ष, पाटलीपुत्रा द्वारा अनुशंसा सहित अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष–पाटलीपुत्रा द्वारा प्रतिवेदन में यह भी अंकित किया गया है कि आवेदक नौकरी करते हैं तथा उनके जान–माल की सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों एवं अभिलेख में संलग्न कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदक **श्री नवनीत नारायण** को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/आशंका है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 3, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदक द्वारा उपस्थित होकर बताये गये तथ्यों तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संकल्प सं0–V-11016/16/2009, शस्त्र दिनांक–31.03.2010 में निहित निर्देश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त **श्री नवनीत नारायण,** पिता–डॉ0 दीप नारायण राम, सा0–270, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, थाना–पाटलीपुत्रा, जिला–पटना को उनके जान–माल की सुरक्षा

हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति की **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्री नारायण को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

लेखापित एवं संशोधित।

N Saravana kumar 02/4/12
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

N Saravana kumar 02/4/12
जिला दण्डाधिकारी,
पटना।